पत्र संख्या–3/एम.–078/2005का. 4467/
बिहार सरकार,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव
सरकार के सभी विभाग ।

पटना–15, दिनांक 17.12. 2007

विषय :– संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि इस विभाग के संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18.07.07 के तहत संविदा नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत का निरुपण किया जा चुका है । सरकार की स्थापना में कई ऐसे पद हैं जो केवल संविदा नियुक्ति के लिए ही उपयुक्त हैं । ऐसे पदों को चिह्नित कर उन पर संविदा नियुक्ति का प्रावधान किये जाने पर विचार किया जा सकता है । तकनीकी / कार्य विभागों के कतिपय पदों, तथा चीफ कंसल्टेंट, कंसल्टेंट, डिप्टी कंसल्टेंट तथा इनके जैसे कई अन्य पदों पर नियमित नियुक्ति से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ऐसे पदों के धारक कुछ वर्षों तक काम करने के बाद अन्यत्र अधिक वेतन का ऑफर प्राप्त होने पर पद त्याग कर चले जायेंगे । ऐसी स्थिति में ऐसे पदों पर पुनः नियुक्ति करनी होगी । अतः ऐसे पदों पर केवल संविदा नियुक्ति का प्रावधान किया जाना कार्यहित में होगा । दूसरी ओर परियोजना विशेष के लिए भी पदों की आवश्यकता सीमित समय के लिए ही होती है । ऐसे पद भी संविदा नियुक्ति के लिए सुरक्षित रखे जा सकते हैं और परियोजना का काम समाप्त होने पर पद समाप्त किये जा सकते हैं ।

2. अतः अनुरोध है कि ऐसी प्रकृति के पदों को चिह्नित किया जाय । ऐसे चिह्नित पद केवल संविदा नियुक्ति के लिए सुरक्षित रहेंगे और इन पर कभी भी नियमित नियुक्ति नहीं होगी । पद चिह्नित कर उन्हें संविदा नियुक्ति के लिए कर्णांकित करने के क्रम में भर्त्ती की प्रक्रिया के निर्धारण हेतु, उपर्युक्त संकल्प संख्या 2401 दिनांक 18.07.07 के आलोक में, नियमावली का प्रारुप तैयार कर प्राधिकृत समिति के अनुमोदन के लिए भेजा जा सकता है । नियमावली का प्रारुपण के क्रम में उपर्युक्त संकल्प के प्रावधानों से भी भिन्न 5 वर्ष तक की अवधि के लिए नियुक्ति का प्रस्ताव और पारिश्रमिक में प्रतिवर्ष निश्चित प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव दिया जा सकता है । इस प्रकार से संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को अस्थायी/स्थायी नियुक्ति वाले पदों के विज्ञापन के क्रम में अन्य अभ्यर्थियों के साथ आवेदन कर सकने का अवसर दिये जाने का उल्लेख भी नियमावली में रह सकता है ।

3. कृपया उपर्युक्त के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन,

(सरयुग प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

D:\Dhar. Personnal\Sec.3\Vijay\Bihar Sachi. Swea Gathan.doc